NIC/13
08/01/19

दुमका समाहरणालय

समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

संख्या–14....../डी.एल.ए. **100/2018–19** दुमका, दिनांक–3/1/19.......

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता, दुमका को यह प्रतित होता है कि ग्राम–**रघुनाथपुर**, थाना–**रानेश्वर**, थाना सं0–**06**, अंचल–**रानेश्वर**, जिला–**दुमका** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **रघुनाथपुर–बरमसिया पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–**रघुनाथपुर**, थाना–**रानेश्वर**, थाना सं0–**06**, अंचल–**रानेश्वर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.27 एकड़** या **0.109 हेक्टेयर** या **00 बीघा 16 कट्ठा 07 धूर** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्र. स.	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11	25	अनाबादी	पु0 पतित	0.27	झारखण्ड सरकार	सीमा	सीमा	25	सड़क

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(अधिनियम संख्या–30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिश्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ(60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक– 14....../जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक–3/1/19...

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका/भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका/अंचल अधिकारी, रानेश्वर/ कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका /हितबद्ध या संबंधित व्यक्तियों पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। अंचलाधिकारी, रानेश्वर इस अधिसूचना की एक प्रति ग्राम के मुख्य स्थल पर अवश्य चिपकायेंगे।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक– 14 /जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक– 3/1/19

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी जिला गजट शाखा दुमका को अगले अंक में प्रकाशित करते हुए पाँच–पाँच प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक– 14 /जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक– 3/1/19

प्रतिलिपिः– निदेशक, भू–अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक– 14 /जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक– 3/1/19

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को जिले के वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।